

बिहार सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या-पर्या०/जल०/परि०-50/2020 - 45, पटना-15, दिनांक-27/01/2022

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-सा०का०नि० 1203 (अ), दिनांक-26.09.2017 द्वारा "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017" अधिसूचित किये गये हैं।

उक्त अधिसूचना के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के विभागीय ज्ञापांक-वन्यप्राणी-16/2012-160 (ई०)/प०व०ज०प०, दिनांक-31.01.2020 द्वारा "बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" का गठन किया गया। आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2017 की नियम संख्या 5(6) (क) में आर्द्रभूमि प्राधिकरण को तकनीकी विषयों पर सलाह देने हेतु तकनीकी समिति के गठन का प्रावधान शामिल किया गया है।

उपरोक्त वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को तकनीकी विषयों पर सलाह देने हेतु तकनीकी समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1.	प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार	अध्यक्ष
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)	सदस्य
3.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार	सदस्य
4.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (जलवायु परिवर्तन संभाग), बिहार	सदस्य
5.	निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार	सदस्य
6.	मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार	सदस्य
7.	निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार	सदस्य
8.	डॉ० रितेश कुमार, निदेशक, आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण एशिया, नई दिल्ली	सदस्य
9.	मुख्य वन संरक्षक (जलवायु परिवर्तन संभाग)	सदस्य सचिव

समिति का कार्य:-

आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी समिति संक्षिप्त दस्तावेजों और प्रबंधन योजनाओं का पुनर्वलोकन करने तथा आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने का कार्य करेगी। (नियम 5 (6) (क) आर्द्रभूमि नियम)।


उक्त समिति अपने कार्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दीपक कुमार सिंह)


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-पर्या०/जल०/परि०-50/2020 (खण्ड-1)-.....<sup>45</sup>....., पटना-15, दिनांक-<sup>27</sup>/01/2022  
प्रतिलिपि:-सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(दीपक कुमार सिंह)


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-पर्या०/जल०/परि०-50/2020 (खण्ड-1)-.....<sup>45</sup>....., पटना-15, दिनांक-<sup>27</sup>/01/2022  
प्रतिलिपि:-जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(दीपक कुमार सिंह)


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-पर्या०/जल०/परि०-50/2020 (खण्ड-1)-.....<sup>45</sup>....., पटना-15, दिनांक-<sup>27</sup>/01/2022  
प्रतिलिपि:-प्राधिकरण एवं तकनीकी समिति/शिकायत समिति/अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-पर्या०/जल०/परि०-50/2020 (खण्ड-1)-.....<sup>45</sup>....., पटना-15, दिनांक-<sup>27</sup>/01/2022  
प्रतिलिपि:-सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(दीपक कुमार सिंह)


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-पर्या०/जल०/परि०-50/2020 (खण्ड-1)-.....<sup>45</sup>....., पटना-15, दिनांक-<sup>27</sup>/01/2022  
प्रतिलिपि:-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल  
पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-पर्या०/जल०/परि०-50/2020 (खण्ड-1)-.....<sup>45</sup>....., पटना-15, दिनांक-<sup>27</sup>/01/2022  
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को  
विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव